न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 88/2018 **दायर दिनांकः 15/06/2018**

उनवान

1. कमलेश आयु 44 वर्ष पुत्र हरगोविन्द जाति महाजन निवासी कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजेन्द्र कुमार आयु 46 वर्ष पुत्र हरिप्रसाद जी जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

..........वादीगण

बनाम

1. शरदकुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. श्यामसुन्दर मित्तल पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजननिवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
7. गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
8. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

11. शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थित :–

वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति0 कम 12।

आदेश दिनाक : 31/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,91,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 676 की ख0न0 365 का कुल किता 1 का रकबा 0.77 है0 आराजी प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज चली आ रही हैं। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 काबिल गौर है। जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 शरद कुमार का हिस्सा 324/4320 खाते दर्ज चली आ रही है। वादीगण कम 1 कमलेश पुत्र हर गोविन्द महाजन व वादी कम 2 राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद जी महाजन ने प्रतिवादी कम 1 शरद कुमार से दिनांक 17.05.2016 को प्रत्येक ने 15 ×100 वर्गफीट भूमि कुल 30×100 वर्गफीट भूमि जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा चार–चार लाख में कय कर कब्जा दिनांक 17.05.2016 को ही संभाल लिया है तथा उक्त आराजी पर वादीगण ने पक्की बाउन्ड्री करा रखी है तथा आज भी काबिज है। चुकि वादीगणों ने एक ही दिनांक को तथा एक ही ख0नं0 365 का रकबा 0.77 है0 में एक ही प्रतिवादीगण कम 1 शरद कुमार से भूमि कय की है इसलिए वाद में वादीयों का सह संयोजन कर एक ही वाद पेश किया जा रहा है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 शरद कुमार के हिस्से 324/4320 में से 30×100 वर्गफीट का नामान्तरण अपने पक्ष में खुलवाये जाकर अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है इस बाबत वादीगण माननीय न्यायालय से घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है जो बिना सहायता माननीय न्यायालय हो पाना सम्भव नहीं है। वादीगण के पक्ष में शरद कुमार के हिस्से में

इन्तकाल नहीं खुला तो वादीगण को उनके द्वारा बैध रूप से क्रय की भूमि (खरीद व कब्जेशुदा) आराजी से अन्य प्रतिवादीगण कभी भी बेदखल कर सकते है जिससे अपरिमित क्षति होगी तथा प्रतिवादी क्रम 12 गोपी कृष्ण पुत्र मदनलाल व अन्य प्रतिवादीगण, वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम न होने का लाभ उठाकर वादीगण द्वारा खरीदी भूमि पवर कब्जा कर सकते है इस बात की धमकी दी है। इसलिए वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 शरद कुमार के हिस्से 324/4320 में से 30×100 वर्गफीट भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी है। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 12 सब सहखातेदार है इसलिए वाद के आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू भूमिधारी होने एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज करेगा इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा उन्हे 80 सी0पी0सी0 का नोटिस भी प्रदान कर दिया गया है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1, 12 व 13 को अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है यदि प्रतिवादी क्रम 1 , 12 व 13 अपने अवैधानिक व गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे तो वादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 अन्य को बेचान कर सकता है तथा प्रतिवादी क्रम 12 वादीगण के कब्जे की आराजी से बेदखल कर सकता है एव प्रतिवादी क्रम 13 अन्य के नाम और रजिस्ट्री का नामान्तरण दर्ज कर देगा तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त की क्रयशुदा आराजी से वंचित होना पड सकता है जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से हो सकना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड सकता है।

अतः वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा खरीद की गई खाता संख्या 676 का ख0नं0 365 का कुल किता 1 का रकबा 0.77 है0 आराजी जो ग्राम एवं माल कवाई में स्थित है में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 324/4320 में से 15×100 वर्गफीट एवं 15×100 वर्गफीट कुल 30×100 वर्गफीट भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1, 12 व 13 को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वह वादीगण की खरीदशुदा व कब्जेशुदा आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें कही अन्य रहन बेचान नहीं करें तथा वादीगण द्वारा क्रयशुदा उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने

प्रतिनिधियों से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार आराजी खरीद करने पर तथा प्रयास करने पर भी नामान्तरण वादीगण के नाम न खुलने तथा अन्तिम बार प्रतिवादी क्रम 12 द्वारा 25.05.2018 को बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जिला कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार साहब अटरू को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस 2 माह का प्रेषित कर दिया गया है किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस अवधि समाप्ति के पूर्व ही यह वाद माननीय न्यायालय 80'2' सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वाद की सुनवाई करने की कृपा करें। वाद की विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम कवाई सालपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। विवाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण क्रम 1, 12 व 13 निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे।

(अ) यह कि वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू के खाता संख्या 676 का ख0न0 365 का कुल किता 1 रकबा 0.77 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 शरद कुमार के हिस्से 324/4320 में से वादीगण के क्रयशुदा आराजी 30×100 वर्गफीट पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 13 तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 व 12 को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को कही अन्य रहन बेचान करें तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीयागण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 12 द्वारा जर्ये अभिभाषक धारा 11 एवं 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद से अपना नाम हटवाने का निवेदन करने पर उक्त वाद से प्रतिवादी क्रम 12 का नाम वाद से हटाया गया। प्रतिवादी क्रम 13 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू के खाता संख्या 676 का ख0न0 365 का कुल किता 1 रकबा 0.77 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 शरद कुमार के हिस्से 324/4320 में से वादीगण के क्रयशुदा आराजी 30×100 वर्गफीट पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 13 तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई के मूल ख0नं0 365 का रकबा 0.77 है0 था, जिसमें सहखातेदार गोपीकृष्ण पुत्र मदनलाल ब्राह्मण को हिस्सा 0.28 है0 पूर्व में ही पृथक होकर पृथक ख0नं0 2565/365 राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्ज हो चुका है। मूल ख0नं0 365 के शेष रकबे 0.49 है0 में सहखातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल ब्राहमण का कुल हिस्सा 0.07 है0 पूर्व में ही पृथक होकर नये ख0नं0 2617/365 व 2626/365 रिकार्ड व नक्शे में दर्ज रिकार्ड हो चुका है। इस प्रकार मूल ख0नं0 365 के वर्तमान शेष 0.42 है0 भूमि के दो नवीन ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 तथा 2618/365 रकबा 0.38 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व 7 ता 12 के सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त शेष रकबा 0.42 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का वर्तमान हिस्सा 1/7 दर्ज है जबकि वाद दायर होने के समय 324/4320 हिस्सा दर्ज था, इसमें 1/4 भाग यानी 15×100 वर्गफीट भूमि वादी क्रम 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17.05.2016 एवं 1/4 भाग यानी 15×100 वर्गफीट भूमि वादी क्रम 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2016 को खरीदी थी। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान में दर्ज हिस्से 1/7 का 1/4 भाग

अर्थात शेष आराजी में 1/28 भाग वादी क्रम 1 एवं 1/28 भाग वादी क्रम 2 के खाते दर्ज किये जाने का वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 676 का **ख0न0 365 का रकबा 0.42 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान हिस्से 1/7 में से 1/28 भाग अर्थात 0.015 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 कमलेश पुत्र हरगोविन्द एवं 1/28 भाग अर्थात 0.015 है0 भूमि पर वादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।** तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
उनवान

1. कमलेश आयु 44 वर्ष पुत्र हरगोविन्द जाति महाजन निवासी कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजेन्द्र कुमार आयु 46 वर्ष पुत्र हरिप्रसाद जी जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

...........वादीगण

बनाम

1. शरदकुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. श्यामसुन्दर मित्तल पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजननिवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
7. गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
8. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रति0 क्रम 12।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 676 का **ख0न0 365 का रकबा 0.42 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान हिस्से 1/7 में से 1/28 भाग अर्थात 0.015 है0 भूमि**

पर वादी कम 1 कमलेश पुत्र हरगोविन्द एवं 1/28 भाग अर्थात 0.015 है0 भूमि पर वादी कम 2 राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31/03/2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)